

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील
चंदेरी चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क.- 211/15
संस्थित दिनांक- 24.08.15

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र चंदेरी
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

1. लालाराम पुत्र भग्गू उर्फ मंगल सिंह उम्र-56 साल
2. हरनाम पुत्र भग्गू उर्फ मंगल सिंह उम्र-46 साल
3. गनेशराम पुत्र भग्गू उर्फ मंगल सिंह उम्र-41 साल
4. घनश्याम पुत्र लालाराम उम्र-27 साल
निवासीगण ग्राम बेसरा तहसील चंदेरी
जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्तगण

—: निर्णय :—

(आज दिनांक 23.02.17 को घोषित)

- 01— अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा-294, 456, 323 अथवा 323/34, 506 भाग दो के तहत दण्डनीय अपराध के यह आरोप हैं कि उन्होंने दिनांक-28.05.15 को रात्रि 09:00 बजे ग्राम सैकरा में फरियादी के मकान के बाहर लोकस्थान पर फरियादी सुखलाल को मां बहन की अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया तथा फरियादी के मकान में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, मै रात्रि प्रच्छन्न गृहअतिचार अथवा गृहवेदन कारित किया तथा साथ ही सुखलाल को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में लाठी व कुल्हाडी के बैटे से मारपीट कर सुखलाल को स्वेच्छया उपहति कारित की व जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-27.05.15 को फरियादी ने अभियुक्त घनश्याम से अपने उधारी के पैसे मांगे थे, तो उसने पैसे देने की मना कर दी ,जिसके बाद घटना दिनांक-28.05.15 को शाम करीबन 08.30 बजे जब फरियादी अपने घर के सामने रोड पर खड़ा था, तो वहा पर घनश्याम और लालाराम आये तो फरियादी ने उनसे कहा कि मेरे बच्चे बीमार है, रुपये दे दो तो अभियुक्तगण गाली देकर चले गये। इसके

बाद फरियादी अपने घर पर आकर रात्रि 09:00 बजे करीब खाना खा रहा था, तो अभियुक्त हरनाम कुल्हाड़ी लेकर व घनश्याम एवं गनेश लाठी लेकर आये तो मां-बहन की गन्दी-गन्दी गालियां देने लगे अभियुक्त हरनाम और लालाराम दोनों फरियादी के उसरा के अन्दर घुस आये और उसे खाना खाते से खींच कर बाहर रास्ते पर लाकर गनेशराम व घनश्याम ने लाठी से व हरनाम ने कुल्हाड़ी के बैठे से मारपीट की। जिससे फरियादी के शरीर में कई जगह चोट आई मौके पर वीरन आदिवासी व घुमान आदिवासी ने घटना देखी। चारों अभियुक्तगण बोले अब पैसे मांगे तो जान से खत्म कर देंगे।

03— घटना दिनांक को रात्रि होने से फरियादी सुखलाल ने दूसरे दिन दिनांक-29.05.15 को पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्तगण के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरुद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक-173/15 अंतर्गत धारा-294, 456, 323, 506, 34 भा0द0वि0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक-23.02.17 को फरियादी सुखलाल के द्वारा अभियुक्तगण से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) एवं 320 (8) द0प्र0स0 के प्रस्तुत किये गये जिन्हें स्वीकार करते हुए अभियुक्तगण को भा0द0वि0 की धारा-294, 323, 323/34, 506बी के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। भा0द0वि0 की धारा-456 शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्तगण पर विचारण किया गया।

05— अभियुक्तगण को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ़ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0स0 में कहना है कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है।

06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1.	क्या अभियुक्तगण ने दिनांक-28.05.15 को रात्रि 09:00 बजे फरियादी सुखलाल के मकान जो कि मानव निवास के रूप में उपयोग में आता था, मै रात्रि प्रच्छन्न गृहअतिचार अथवा गृहभेदन कारित किया ?
2.	दोषसिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

—::सकारण निष्कर्ष::—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-01 व 02 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

07— अभियोजन की ओर से प्रकरण में हुये राजीनामे एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य को देखते हुये मात्र फरियादी सुखलाल अ0सा0-1 व उसकी पत्नि राजकुमारी अ0सा0-2 के कथन

न्यायालय में कराये गये हैं। फरियादी सुखलाल अ०सा०-1 का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि आरोपीगण से उसका लेनदेन का विवाद था। एक ढेड साल पहले गर्मियों के समय पर रात को 09:00-09:30 बजे अपने घर के बाहर खड़ा था तब अभियुक्तगण वहां आये और पैसे के लेनदेन पर से उसे मां-बहन की गालियां दी और उसके साथ हाथापाई कर दी। इस साक्षी के अनुसार घटना के समय पर अकेला था हल्ले की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोगों के आने के बाद अभियुक्तगण वहां से भाग गये थे।

- 08— फरियादी सुखलाल अ०सा०-1 ने अपने मुख्यपरीक्षण में अभियोजन कहानी के विरुद्ध घटना घर के बाहर की होना बताया है। इस साक्षी का कहना है कि घटना से पूर्व वह घर के बाहर खड़ा था तथा अभियुक्तगण से उसका विवाद घर के बाहर हुआ था, जबकि अभियोजन कहानी के अनुसार अभियुक्त हरनाम व लालाराम दोनों ने फरियादी के उसरा में घुस कर खाना खाते से फरियादी को बाहर खेंच कर लाये थे। घटना की अन्य साक्षी फरियादी सुखलाल अ०सा०-1 की पत्नी राजकुमारी अ०सा०-2 भी अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन का समर्थन नहीं करती है तथा अपने सामने की कोई घटना न होना बताती है यह साक्षी अपने पति के बताये अनुसार विवाद होना बताती है तथा अपने कथनों में इस बात का स्पष्ट खण्डन करती है कि अभियुक्तगण ने उसके घर घुसकर उसके पति को बाहर खींच कर ले जाकर मारपीट की।
- 09— आरोपित अपराध के संबंध में सुखलाल अ०सा०-1 व राजकुमार अ०सा०-2 के द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने के कारण इन साक्षियों को पक्षविरोधी कर अभियोजन द्वारा विस्तृत परीक्षण किया गया परन्तु इन साक्षियों ने अपने सम्पूर्ण परीक्षण में अभियोजन का इस बात पर लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया की, अभियुक्तगण घटना दिनांक को लाठी व कुल्हाड़ी लेकर उसके घर पर आये थे तथा उसके घर में घुसकर उसे बाहर खींच कर लाये थे। फरियादी सुखलाल अ०सा०-1 घटना घर के बाहर की होना बताता है तथा यह स्पष्ट कहता है कि हरनाम ने कुल्हाड़ी के बैठे से व घनश्याम के डंडे से उसके साथ कोई मारपीट नहीं की तथा फरियादी का यह कहना है कि अभियुक्तगण निहत्थे थे। वही राजकुमारी अ०सा०-1 अपने सामने कोई घटना ही घटित न होना बताती है तथा अपने पति के बताये अनुसार अभियुक्तगण से पति का विवाद होने के संबंध में कथन देती है।
- 10— फरियादी सुखलाल अ०सा०-1 जो कि घटना में मुख्य आहत होकर स्वयं फरियादी है तथा इसी के द्वारा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी०-1 लेखबद्ध कराई गई है। वही राजकुमारी अ०सा०-2 जो फरियादी की पत्नी होकर अभियोजन कहानी के अनुसार घटना की मुख्य साक्षी है। ये दोनों ही साक्षी आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन का लेषमात्र भी समर्थन नहीं करते तथा फरियादी का यह भी स्पष्ट कहना है कि उसने अपनी रिपोर्ट प्र०पी०-1 एवं पुलिस कथन प्र०पी०-3 में ऐसी कोई घटना लेख नहीं कराई कि अभियुक्तगण ने उसके घर में घुसकर मारपीट की।

अतः अभिलेख पर इस आशय की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक को फरियादी के घर में घुसकर उसे घर बाहर खींचकर उसके साथ मारपीट की

थी। परिणामस्वरूप साक्ष्य के अभाव में अभियोजन यह साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक-28.05.15 को रात्रि 09.00 बजे फरियादी सुखलाल के मकान जो कि मानव निवास के रूप में उपयोग में आता था, मै रात्रि प्रच्छन्न गृहअतिचार अथवा गृहभेदन कारित किया था।

- 12- अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य एव उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्तगण लालाराम पुत्र भग्गू उर्फ मंगल सिंह, हरनाम पुत्र भग्गू उर्फ मंगल सिंह, गनेशराम पुत्र भग्गू उर्फ मंगल सिंह, घनश्याम पुत्र लालाराम के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा-456 के आरोप साबित नहीं होते हैं। उपरोक्त आधार पर अभियुक्तगण अभियुक्तगण लालाराम पुत्र भग्गू उर्फ मंगल सिंह, हरनाम पुत्र भग्गू उर्फ मंगल सिंह, गनेशराम पुत्र भग्गू उर्फ मंगल सिंह, घनश्याम पुत्र लालाराम को भा0दं0वि0 की धारा-456 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 13- अभियुक्तगण अभियुक्तगण लालाराम पुत्र भग्गू उर्फ मंगल सिंह, हरनाम पुत्र भग्गू उर्फ मंगल सिंह, गनेशराम पुत्र भग्गू उर्फ मंगल सिंह, घनश्याम पुत्र लालाराम के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। अभियुक्तगण का धारा-428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं है।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)